(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1161–दो/2006 – विरूद्व आदेश दिनांक 06 जून, 2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 226/2001–02 अपील

रामजस उर्फ ललुआ पुत्र रामखिलावन
ग्राम घोघराटोला तहसील देवसर
जिला सीधी, मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्व

1– मोतीलाल पुत्र दूधनाथ जायसवाल
2– हीरालाल पुत्र दूधनाथ जायसवाल
दोनों ग्राम नोढ़िया तहसील देवसर
जिला सीधी मध्य प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 –10–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 226/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–06 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार देवसर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि उनकी ग्राम घोघरा स्थित आराजी नंबर 1034 रकबा 0.25 आरे के अंश भाग 0.03 पर आवेदक ने अतिकमण कर लिया है, इसलिये अतिकमण हटाकर कब्जा दिलाया जावे। तहसीलदार देवसर ने प्रकरण कमांक

28 अ—70/2000—01 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 5—9—2001 पारित करके बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 41/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2001 से अपील स्वीकार करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 5—9—2001 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 226/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6—6—06 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त वरगवॉ तहसील देवसर ने प्रकरण कमांक 46/अ—6—अ/2000—01 में पारित आदेश दिनांक 7—1—2001 से ग्राम घोघरा की भूमि सर्वे नंबर 1034 रकबा 0.25 के अंश रकबा 0.03 पर वर्ष 2000—01 में खसरे के कालम नंबर 12 में कब्जा अंकित कराया है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/चितरंगी ने प्रकरण कमांक 41/2001—02 अपील में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2001 के पैरा 3 में विवेचित कर निष्कर्ष दिया है कि तहसील न्यायालय ने प्रकरण में विधिवत् साक्ष्य नहीं ली है एंव सुनवाई का भी अवसर नहीं दिया गया है एंव धारा 250 का आदेश पारित करके बेदखली के आदेश दिये है जिसके कारण उन्होंने तहसीलदार देवसर के प्रकरण कमांक 28 अ—70/2000—01 पारित आदेश दिनांक 5—9—2001 को त्रृटिपूर्ण पाकर निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 226/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–06 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित होना मानकर अपील निरस्त की है। अनुविभागीय अधिकारी देवसर/ चितरंगी के प्रकरण कमांक 41/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2001 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 226/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–06 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 226/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–6–06 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर